उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन लखनऊ द्वारा भू0पू0 सैनिकों/उनके आश्रितों के कल्याणार्थ संचालित योजनायें

1- शैक्षिक सहायता :–

सामान्य शिक्षा

कक्षा 9 से एम0एस0सी0 तक

रु0 400/- से रु0 800/- तक

(कक्षा 9-10 तक पिछली कक्षा में प्राप्तांक 48% तथा 11 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं में पिछली कक्षा में प्राप्तांक कम से कम 50% होना अनिवार्य है)

प्राविधिक शिक्षा

रु0 600/- से रु0 5,000/- तक

(पिछली कक्षा में प्राप्तांक कम से कम 50% होना अनिवार्य है)

2- भू0पू0 सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता :–

भू0पू0 सैनिक विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान रु0 10,000/- प्रति पुत्री।

(वर/कन्या की उम्र 21/18 से कम नहीं होनी चाहिये)

3- भू0पू0 सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण पर छूट :–

भू0पू0 सैनिकों/अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक व अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर छूट :–

(क) रु0 10,000/- तक के ऋण पर 15%

(ख) रु0 10,000/- से रु0 1,00,000/- तक के ऋण पर 10% तथा कम से कम रु0 1,500/-

4- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :–

(1) सामान्य चिकित्सा

वर्ष में एक भू0पू0 सैनिक को एक बार रु0 1,000/- तक

(2) विशेष चिकित्सा

विशेष श्रेणी की चिकित्सा में चिकित्सा पर हुये कुल व्यय का 75% या रु0 40,000/- जो कम हो।

5- भू0पू0 सैनिकों की विधवा को सिलाई/बुनाई मशीन सहायता :–

सिलाई बुनाई में प्रशिक्षित भू0पू0 सैनिक विधवाओं को सिलाई मशीन क्रय हेतु रु0 1,500/- व बुनाई मशीन हेतु रु0 3,000/- की आर्थिक सहायता।

6- निधि कार्यालय से स्पॉट ग्रान्ट तथा अनकवर्ड स्कीम ग्रान्ट का भुगतान :–

यह अनुदान अभावग्रस्त/निराश्रित भू0पू0 सैनिक/आश्रितों तथा विधवाओं को उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप निधि कार्यालय से विवेकानुसार दिया जाता है।

7- अपंग भू0पू0 सैनिकों को हस्तचालित ट्राईसाइकिल/व्हीलचेयर/आर्टिफिशियल लिम्ब हेतु आर्थिक सहायता

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु भू0पू0 सैनिक/आश्रित अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

सचिव,
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि।

पी०एस०यू०पी० ए०पी०-7 राज्यपाल-13-9-2010-(1019)-20,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।